

(111)

मुंगेर गजट १६ जून १९७५

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

70

पटना-१७, दिनांक २-६-७५

एस० ओ० ६ सि०-१०३३/७५-१२५१ भू०सु०-चूँकि इसके साथ अनुबद्ध तालिका के स्तम्भ १ में उल्लिखित भू-धारक द्वारा धारित भूमि के संबंध में बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम (बिहार लेण्ड रिफार्मर्स फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एण्ड ऐक्विजिशन ऑफ सरप्लस लेण्ड) १९६१ (बिहार अधिनियम १०, १९६२) की धारा ११ की उप-धारा (१) के अधीन विवरण अंतिम रूप से प्रकाशित हो चुका है,

और, चूँकि उक्त विवरण में उक्त तालिका के स्तम्भ २ से ६ तक में वर्णित भूमि अधिशेष भूमि के रूप में दिखाई गई है,

इसलिये, अब, उक्त अधिनियम की धारा १५ की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उक्त अधिशेष भूमि, जो लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, अर्जित करते हैं ।

तालिका

34

अधिशेष भूमि का व्योरा

आवेदक का नाम पिता का नाम और पता	गांव	खाता न०	प्लॉट न०	क्षेत्रफल एकड़-डिसिमल	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६

श्री बालमिकी यादव
पे०-सुन्दर यादव,
सा०-राजाजान,
धाना-चौधम,
जिला-मुंगेर ।

धूतौली
(भूतौली)

२४४	८	१-०२
२२८	६०	६-५६
२०	३७	१-७५
३०४	६१	०-४४
३७६	६१	०-७८
१८६	१६	१-३१
	३६	०-२७

(१४८)

(112)

113

(113)

मुंगेर गजट १६ जून १९७५

60 60

तालिका
अधिशेष भूमि का व्योरा ।

आवेदक का नाम पिता का नाम और पता	गांव	खाता न०	प्लॉट न०	क्षेत्रफल	अभ्युक्ति
				एकड़-डिसमल	
१	२	३	४	५	६

२३४ १०७ १-३०

२० २३ १-६७

२२(मी०) २-०६

३५३ ६४ ०-०७

४१६ १०६ ०-८७

१६ ०-३७

३४ ६ ०-८८

१५-६६ एकड़

(कुल रकबा पन्द्रह एकड़ और उनहत्तर डि० मात्र)

(संचिका संख्या ६ /सीलिंग १०३३/७५)

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

ह० बी० एन० मिश्र

सरकार के उप सचिव ।

(114)

(115)

मुंबेर. गजट १६ जून १९७५

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

तिथि २-६-७५

एस०प्रो०६ सि०-१०३३/७५-१२५१ भू० सु० अधिसूचना संख्या एस० प्रो० ६ सि०-१०३३/७५-१२५१ भू० सु० दिनांक २-६-७५ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

(संचिका संख्या ६ सि० १०३३/७५)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०बी० एन० मिश्र
सरकार के उप सचिव

NOTIFICATION

Dated the 2nd June/1975

S.O. WHERE AS a statement under sub-section (1) of Section 11 of the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus land) Act, 1961 (Bihar Act 12 of 1962) with regard to the land held by the landholder mentioned in column 1 of the Table here to annexed has been finally published,

AND, HERE AS in the said statement the Land described in Columns 2 to 6 of the said Table have been shown as surplus Lands NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 15 of the said Act, the Governor of Bihar is pleased to acquire, for the purpose of the said Act, the said surplus land which is required for public purposes.

TABLE
Details of the Surplus lands.

(34)

Name of landholders with his father's name and address.	Village	Khata No.	Plot No.	Area	Remarks
				Acre-Dec.	
1.	2	3	4	5	6
Sri Balmiki Yadav	Dhutoili (Bhutouli)	244	8	1.02	
S/o Sundar Yadav		288	90	2.56	
Vill.-Rajazam		20	37	1.75	
P.S. Choutham		304	91	0.44	
Dist.-Monghyr.		376	61	0.78	
		186	16	1.32	
			39	0.27	

(116)

(117)

मुं गेर गजट १६ जून १९७५

१०

TABLE
Details of the Surplus lands.

Name of landholders with his father's name and address.	Village	Khata No.	Plot No.	Area	Remarks
				Acre-Dec.	
1	2	3	4	5	6
		234	107	1.30	
		20	23	1.97	
			22	2.09	
			(Milzula)		
		353	94	0.07	
		419	106	0.87	
			19	0.37	
		34	6	0.88	
				<u>15.69</u>	

(Total fifteen acres and sixty nine decimals only)

(File No. 6/Ceiling 1033/75)

By order of the Governor of Bihar,

Sd/- B. N. Mishra

Deputy Secretary to Government

(118)